

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 452]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2022—श्रावण 21 शक 1944

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-1899.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 65NN-02-2022-पांच-1861, दिनांक 29 जुलाई, 2022 द्वारा नगर परिषद्, त्योंथर, जिला रीवा के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 433, दिनांक 1 अगस्त, 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक-10 में पार्षद पद के अभ्यर्थी “ममता देवी” के सम्मुख अंकित दल से सम्बद्धता के कॉलम में “भारतीय जनता पार्टी” के स्थान पर “इंडियन नेशनल काँग्रेस” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( राकेश सिंह )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-1900.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 65NN-02-2022-पांच-1852, दिनांक 29 जुलाई, 2022 द्वारा नगर परिषद्, हनुमना, जिला रीवा के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 433, दिनांक 1 अगस्त, 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक-09 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम “अखिलेख गुप्ता” के स्थान पर अभ्यर्थी का नाम “अखिलेश गुप्ता” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
( राकेश सिंह )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-1903.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 65NN-02-2022-पांच-1599, दिनांक 28 जुलाई, 2022 द्वारा नगरपालिका परिषद्, नागदा, जिला-उज्जैन के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 425, दिनांक 28 जुलाई, 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक-10 में पार्षद पद के अभ्यर्थी “विशाल गुर्जर” के सम्मुख अंकित दल से सम्बद्धता के कॉलम में “भारतीय जनता पार्टी” के स्थान पर “इंडियन नेशनल काँग्रेस” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
( राकेश सिंह )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.